न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी–खीरी।

उपस्थित– रजत प्रकाश सोन (उ०प्र० न्यायिक सेवा) (जे०ओ० कोड–UP 3725)

CNR No.– UPLP 1200 0257 2025

फौजदारी मुकदमा संख्या–111/2025

कम्प्यूटर पंजीकरण सं०–60/2025

सरकार

बनाम

1– मोहनलाल उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र छोटेलाल,

2– प्रवीन कुमार **(मृतक)** उम्र लगभग वर्ष पुत्र छोटेलाल,

3– छोटेलाल उम्र लगभग 56 वर्ष पुत्र रूपनलाल,

4– डाल कुमारी उम्र लगभग 60 वर्ष पत्नी छोटेलाल,

निवासीगण मोहल्ला गांधीनगर कस्बा बरबर, थाना–पसगवां, जिला–खीरी।

मु०अ०सं०–415/2024
अं०धारा–85, 115(2), 351(3) बी०एन०एस०
व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–पसगवां, जिला–खीरी।

अभियोजन की ओर से ..... विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री अतुल कुमार मिश्रा।
बचावपक्ष की ओर से ..... विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप कुमार यादव।

क्र०सं०	**दिनांक**	**घटना/कार्यवाही**
1.	03.10.2024	घटना
2.	04.10.2024	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3.	06.02.2025	आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया
4.	17.02.2025	अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किया गया
5.	21.01.2026	बयान अभियुक्तगण अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित
6.	14.05.2026	अंतिम बहस
7.	25.05.2026	निर्णय

निर्णय

पुलिस थाना–पसगवां, जिला–खीरी द्वारा मु०अ०सं०–415/2024 अन्तर्गत धारा–85, 115(2), 351(3) बी०एन०एस० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अभियुक्तगण मोहनलाल, प्रवीन कुमार **(मृतक),** छोटेलाल व डाल कुमारी के विरुद्ध आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि "प्रार्थिनी सीटू पुत्री सुरेन्द्र नि०ग्राम बहादुरनगर थाना पिहानी जिला हरदोई की रहने वाली है। प्रार्थिनी की शादी तीन वर्ष पूर्व मोहनलाल पुत्र छोटेलाल नि०मो० गांधीनगर बरबर थाना पसगवां, खीरी के साथ की थी। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत के हिसाब से दान–दहेज भी दिया था। दिए गए दान–दहेज से मेरे ससुरालीजन पति मोहनलाल, जेठ परवीन कुमार, सास डाल कुमारी, ससुर छोटेलाल, ननद ममता देवी, बहनोई प्रमोद कुमार खुश नहीं है। आए दिन उपरोक्त लोग मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। अतिरिक्त दहेज में 50,000/–रुपये की मांग को लेकर उपरोक्त लोगों ने दिनांक 03.10.2024 को रात करीब 12:00 बजे लात–घूसों, थप्पड़ों व बेल्ट से मारापीटा, जिससे मेरे चोटों के निशान है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बहनोई प्रमोद कुमार ने मुझे फोन द्वारा जान से मारने की धमकी दी। मेरा सारा माल–जेवर मेरे ससुरालीजनों के पास है। उपरोक्त लोगों ने कहा है जब तक मेरी मांग पूरी नहीं करोगी तब तक हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे।"

विवेचक द्वारा घटना की विवेचना कर गवाहन के बयानात अंकित किए गए एवं घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया गया तथा बाद विवेचना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण मोहनलाल, प्रवीन कुमार, छोटेलाल व डाल कुमारी के विरुद्ध धारा–85, 115(2), 351(3) बी०एन०एस० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया एंव अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में हाजिर आये एवं उनके द्वारा अपनी जमानत कराई गयी।

अभियुक्तगण को विधिनुसार अन्तर्गत धारा–207 दं०प्र०सं० के अधीन अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं।

न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2025 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया तथा अपने विचारण की मांग की।

अभियोजन के साक्ष्य के उपरान्त पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा–313 दं० प्र०सं० में अग्रसारित की गयी।

अभियुक्त प्रवीन कुमार की मृत्यु दिनांक 18.01.2025 को होने के कारण अभियुक्त के विरूद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक 17.02.2025 को उपशमित की जा चुकी है।

दिनांक 21.01.2026 को अभियुक्तगण मोहनलाल, छोटेलाल व डाल कुमारी का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में कथन किया गया है कि उन्होंने दहेज नहीं मांगा था। गवाहन के बयान के संबंध में, गलत गवाही दी है, कुछ नहीं कहना है, का कथन किया गया है तथा मुकदमा गलत चलना बताया है। सफाई साक्ष्य देने से इनकार करते हुए कथन किया है कि उन्हें कुछ नहीं कहना है।

तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

न्यायालय द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया।

अभियोजन के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं बहस में किये गये तर्कों के परिपेक्ष्य में न्यायालय को अब यह अवधारित करना है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–85, 115(2), 351(3) बी०एन०एस० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं, क्योंकि साक्ष्य विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पर अपने वाद के तथ्यों को साबित करने का प्रथमतः भार होता है। इसी क्रम में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सम्यक् विष्लेषण विधायिका द्वारा धारा– 85, 115(2), 351(3) बी०एन०एस० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के परिपेक्ष्य में किया जाना न्यायोचित होगा।

धारा–85 बी०एन०एस०–किसी स्त्री के प्रति या पति नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता–जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति के नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 03 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा–3 डी०पी० एक्ट–दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति– यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दूष्प्रेरित करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 05 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15 हजार रुपये से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नही होगा, दण्डनीय होगा।

धारा–4 डी०पी०एक्ट–दहेज मांगने के लिए शास्ति– यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता–पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 06 मास से कम की नहीं होगी, किन्तु 02 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा–115(2) बी०एन०एस०–स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड– उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध में जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जायेगा।

धारा–351(3) बी०एन०एस०–आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड– जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से यह दोनों से दण्डित किया जाएगा।

यदि धन की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की हो तथा यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश कारित करने की या मृत्युदण्ड से या आजीवन कारावास से या 07 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की या किसी स्त्री पर अस्तित्व का लांछन की हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 07 वर्ष से कम की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

उक्त प्रावधानों में निहित आवश्यक तत्वों के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस प्रकार है।

उपरोक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से केवल 04 गवाहान को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षियों के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अन्य कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया है। 04 गवाह जो इस प्रकार हैं–

क्रम सं०	**अभियोजन साक्षी सं०**	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
1.	पी०डब्लू०–1	सीटू	पीड़ित साक्षी/चोटहिल
2.	पी०डब्लू०–2	सुनीता	अन्य गवाह
3.	पी०डब्लू०–3	सुरेन्द्र	अन्य गवाह
4.	पी०डब्लू०–4	बाबूराम	अन्य गवाह

दास्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस प्रकार हैं–

क्रम सं०	**प्रदर्श सं०**	**प्रदर्श का विवरण**	**प्रदर्श जिसके द्वारा साबित किया गया**
1.		आरोप पत्र	
2.		प्रथम सूचना रिपोर्ट	
3.	प्रदर्श क–1	मूल तहरीर	पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा सीटू
4.		नक्शा–नजरी	
5.		मजरूबा सीटू की मेडिकल रिपोर्ट	
6.		कायमी जी०डी०	
7.		केस डायरी	

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा सीटू ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथन किया गया है कि "मेरी शादी आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व मोहनलाल के साथ हुई थी। शादी में मेरे पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार खर्चा किया था जिससे मेरे ससुरालीजन खुश नहीं थे तथा मेरे पति मोहनलाल, सास डालकुमारी तथा ससुर छोटे लाल, मुझे गालियां देते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते हुए मारते–पीटते थे तथा पचास हजार रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे तथा न दे पाने पर जान से मारने की धमकी देते थे। घटना की तहरीर मैंने थाना पसगवां पर दी थी, जो शामिल पत्रावली है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पहचान करती हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। मेरी डॉक्टरी सी.एच.सी. पसगवा में हुई थी। दरोगाजी ने मेरे बयान लिए थे।"

पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा सीटू ने अपनी जिरह में कथन किया है कि "मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूँ, केवल हस्ताक्षर बना लेती हूँ। तहरीर मैंने किसी से लिखवायी थी, लिखने वाले ने मुझे पढ़कर नहीं सुनाया था सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया था। घटना वाले दिन किसी बात को लेकर पति मोहनलाल, सास डाल कुमारी तथा ससुर छोटेलाल से कहा सुनी हो गई थी। शोर शराबे की आवाज सुनकर काफी लोग आ गए थे। भीड़ की धक्का मुक्की में फिसलकर गिर जाने से मुझे चोटें आ गई थी। लोगों के बहकावे में आकर मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उपरोक्त अभियुक्तगण ने ना ही दहेज के रूप में पचास हजार रुपए की मांग की थी और न ही मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था, न ही गंदी–गंदी गालियां देते हुए मारापीटा था, और न ही जान से मारने की धमकी दी थी। मैं इस समय अपने पति के संग अपने ससुराल में ही रह रही हूँ। मेरे एक बेटी है। अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं है।

गवाह से पूछा गया कि किन लोगों के बहकावे में आकर रिपोर्ट लिखाई थी तो गवाह ने कहा कि मुझे इस समय उसका नाम याद नहीं है। यह कहना गलत है कि हमारा आपस में सुलह हो जाने व किसी भय, दबाव अथवा लालच में आ जाने के कारण आज मैं न्यायालय में सही बात नहीं बता रही हूँ।"

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 सुनीता ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथन किया है कि "मैं मोहनलाल के मुहल्ले में ही थोड़ी दूर पर रहती हूँ। घटना के दिन मैं अपने घर पर थी। मुझे ऐसी कोई घटना की जानकारी नहीं है और न ही मैं दहेज में 50,000/–रुपये की मांग करते हुए देखी व सुनी थी और न ही मैंने अभियुक्ण मोहनलाल, डाल कुमारी व छोटेलाल को गालियां देते हुए, मारते–पीटते व शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए देखा था और न ही जान से मारने की धमकी देते हुए देखी व सुनी थी। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी।

पी०डब्लू०–2 सुनीता ने अपनी जिरह में कथन किया है कि "गवाह को धारा 161 सी०आर०पी०सी० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो इन्कार किया व कहा कि मैंने दरोगाजी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, इसकी वजह मैं नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमानों से मिल जाने व किसी भय, लालच अथवा दबाव में आकर मैं आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रही हूँ।"

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 सुरेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथन किया है कि "मैंने अपनी लड़की सीटू की शादी लगभग तीन वर्ष पूर्व किया था। शादी में मैंने अपनी हैसियत के अनुसार खर्च किया था जिससे उसके ससुरालीजन खुश थे। अभियुक्तगण मोहनलाल, डालकुमारी व छोटेलाल ने न तो दहेज में 50,000/–रुपये की मांग की थी, और न ही मेरी लड़की को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया था, न ही उसे गन्दी–गन्दी गालियां दी थीं, और न ही मारा पीटा था। मेरी लड़की अपनी ससुराल में राजी खुशी रही है। उसके गोद में तीन माह की बच्ची है। दरोगाजी मेरा कोई बयान नहीं लिया था।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी।

साक्षी पी०डब्लू०–2 सुरेन्द्र ने अपनी जिरह में कथन किया है कि "गवाह को धारा 161 सी०आर०पी०सी० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो इन्कार किया व कहा कि मैंने दरोगाजी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि हमारा आपस में सुलह हो जाने के कारण व किसी भय, लालच या दबाव में आ जाने के कारण आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ।"

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4 बाबूराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथन किया है कि "मैं, मोहनलाल के मोहल्ले में पड़ोस में रहता हूँ। घटना वाले दिन मैं अपने घर पर नहीं था, किसी काम से बाहर गया था। मुझे ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है, न ही मैंने अभियुक्तगण मोहनलाल, डाल कुमारी व छोटेलाल को दहेज में पचास हजार रुपये मांगते देखा व सुना है और न ही गालियां देते हुए मारते–पीटते देखा है और न ही शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए देखा था और न ही जान से मारने की धमकी देते हुए देखा व सुना था। दरोगाजी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी।

साक्षी पी०डब्लू०–4 बाबूराम ने अपनी जिरह में कथन किया है कि "गवाह को धारा 161 सी०आर०पी०सी० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो इन्कार किया व कहा कि मैंने दरोगाजी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों से मिल जाने के कारण आज मैं न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ।"

दाण्डिक न्याय शास्त्र का पूर्णतया सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध के आवश्यक तथ्यों को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है और यदि अभियोजन अपने इस दायित्व में विफल रहता है तो इसका लाभ अभियुक्तगण को अवश्य मिलना चाहिए।

न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि–

1. क्या दिनांक 03.10.2024 अदम तहरीर, समय 00:00 बजे, स्थान बहद कस्बा मो० गांधीनगर, थाना–पसगवां, जिला–खीरी में अभियुक्तगण मोहनलाल, छोटेलाल व डाल कुमारी द्वारा वादिनी मुकदमा सीटू को दहेज की खातिर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया था अथवा नहीं।
2. क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा सीटू को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया गया था अथवा नहीं।
3. क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा सीटू को गाली–गलौज कर साशय अपमानित किया गया था अथवा नहीं।

4. क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा सीटू को जान से मारने की धमकी देने का आपराधिक अभित्रास कारित किया गया था अथवा नहीं।
5. क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा सीटू से अतिरिक्त दहेज की मांग की गई थी अथवा नहीं।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विष्लेषण निम्न प्रकार से किया जा रहा है।

<u>आरोप अन्तर्गत धारा– 85, 115(2), 351(3) बी०एन०एस० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम</u>

उपरोक्त आरोपों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि "प्रार्थिनी सीटू पुत्री सुरेन्द्र नि०ग्राम बहादुरनगर थाना पिहानी जिला हरदोई की रहने वाली है। प्रार्थिनी की शादी तीन वर्ष पूर्व मोहनलाल पुत्र छोटेलाल नि०मो० गांधीनगर बरबर थाना पसगवां, खीरी के साथ की थी। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत के हिसाब से दान–दहेज भी दिया था। दिए गए दान–दहेज से मेरे ससुरालीजन पति मोहनलाल, जेठ परवीन कुमार, सास डाल कुमारी, ससुर छोटेलाल, ननद ममता देवी, बहनोई प्रमोद कुमार खुश नहीं है। आए दिन उपरोक्त लोग मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। अतिरिक्त दहेज में 50,000/–रुपये की मांग को लेकर उपरोक्त लोगों ने दिनांक 03.10.2024 को रात करीब 12:00 बजे लात–घूसों, थप्पड़ों व बेल्ट से मारापीटा, जिससे मेरे चोटों के निशान है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बहनोई प्रमोद कुमार ने मुझे फोन द्वारा जान से मारने की धमकी दी। मेरा सारा माल–जेवर मेरे ससुरालीजनों के पास है। उपरोक्त लोगों ने कहा है जब तक मेरी मांग पूरी नहीं करोगी तब तक हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे।"

अभियोजन कथनाक के संबंध में वादी मुकदमा **पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा सीटू** ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन करते हुए तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपने हस्ताक्षर में होना स्वीकार करते हुए प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। प्रतिपरीक्षा में पी०डब्लू०–1 सीटू ने कथन किया है कि मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूँ, केवल हस्ताक्षर बना लेती हूँ। तहरीर मैंने किसी से लिखवायी थी, लिखने वाले ने मुझे पढ़कर नहीं सुनाया था सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया था। घटना वाले दिन किसी बात को लेकर पति मोहनलाल, सास डाल कुमारी तथा ससुर छोटेलाल से कहा सुनी हो गई थी। शोर शराबे की आवाज सुनकर काफी लोग आ गए थे। भीड़ की धक्का मुक्की में फिसलकर गिर जाने से मुझे चोटें आ गई थी। लोगों के बहकावे में आकर मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उपरोक्त अभियुक्तगण ने ना ही दहेज के रूप में पचास हजार रुपए की मांग की थी और न ही मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था, न ही गंदी–गंदी गालियां देते हुए मारापीटा था, और न ही जान से मारने की धमकी दी थी। मैं इस समय अपने पति के संग अपने ससुराल में ही रह रही हूँ। मेरे एक बेटी है। अब हमारे बीच

कोई विवाद नहीं है। गवाह से पूछा गया कि किन लोगों के बहकावे में आकर रिपोर्ट लिखाई थी तो गवाह ने कहा कि मुझे इस समय उसका नाम याद नहीं है। यह कहना गलत है कि हमारा आपस में सुलह हो जाने व किसी भय, दबाव अथवा लालच में आ जाने के कारण आज मैं न्यायालय में सही बात नहीं बता रही हूँ। इस प्रकार वादिनी मुकदमा सीटू ने अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है, परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में घटना का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा सीटू के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं हो रहे हैं।

इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 सुनीता ने अभियोजन कथानक का समर्थन अपनी मुख्य परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं किया है। अभियोजन द्वारा पी०डब्लू०–2 सुनीता को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किया है कि गवाह को धारा 161 सी०आर०पी०सी० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो इन्कार किया व कहा कि मैंने दरोगाजी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, इसकी वजह मैं नहीं बता सकती। इस प्रकार पी० डब्लू०–2 सुनीता के साक्ष्य से भी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं हो रहे हैं।

इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 सुरेन्द्र ने अभियोजन कथानक का समर्थन अपनी मुख्य परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं किया है। अभियोजन द्वारा पी०डब्लू०–3 सुरेन्द्र को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किया है कि गवाह को धारा 161 सी०आर०पी०सी० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो इन्कार किया व कहा कि मैंने दरोगाजी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। इस प्रकार पी० डब्लू०–3 सुरेन्द्र के साक्ष्य से भी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं हो रहे हैं।

इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4 बाबूराम ने अभियोजन कथानक का समर्थन अपनी मुख्य परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं किया है। अभियोजन द्वारा पी०डब्लू०–4 बाबूराम को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किया है कि गवाह को धारा 161 सी०आर०पी०सी० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो इन्कार किया व कहा कि मैंने दरोगाजी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। इस प्रकार पी० डब्लू०–4 बाबूराम के साक्ष्य से भी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं हो रहे हैं।

अभियोजन द्वारा उपरोक्त मामले में आरोपपत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, मेडिकल रिपोर्ट, कायमी जी०डी० आदि को भी किसी भी मौखिक साक्षी द्वारा साबित नहीं किया गया। यद्यपि बचाव पक्ष ने अभियोजन प्रपत्रों की मौलिक सत्यता को स्वीकार किया तथा तथ्यों से इन्कार किया है, परन्तु केवल इसी आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन, अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त एवं संदेह से परे साबित न करे।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विश्लेषण से न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को अभियोजन युक्तियुक्त एवं संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। घटना संदेहास्पद प्रतीत होती है। **चूंकि सहअभियुक्त प्रवीन कुमार की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध उपरोक्त मुकदमे की कार्यवाही दिनांक 17.02.2025 को उपशमित की जा चुकी है।** अतः शेष बचे अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

शेष बचे अभियुक्तगण मोहनलाल, छोटेलाल व डाल कुमारी को मु०अ०सं०–415/2024 में लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–85, 115(2), 351(3) बी०एन०एस० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके पूर्व में दाखिल जमानतनामें निरस्त कर जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रत्येक को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 बी०एन०एस०एस० के अनुपालन में मु० 20,000/–रूपये के निजी बंधपत्र आज ही दाखिल करें तथा समान धनराशि की एक–एक प्रतिभू न्यायालय में दाखिल करें।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा सीटू पुत्री सुरेन्द्र नि०ग्राम बहादुरनगर थाना–पिहानी, जिला–हरदोई द्वारा न्यायालय के समक्ष जान–बूझकर तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्या साक्ष्य देने हेतु धारा–383 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह पी०डब्लू०–1 सीटू के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 25.05.2026

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
(JO Code– UP 3725)

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 25.05.2026

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
(JO Code– UP 3725)